मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या- 23 /2015

दिनांक:लखनऊ: अप्रैल 10 , 2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मा0 न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे मामले जिनमें पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अभियुक्त/गवाह होते हैं वे सुनवाई के दौरान बुलाये जाने पर मा0 न्यायालयों में समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे विचाराधीन मुकदमें अनावश्यक रूप से लम्बित रहते हैं ।

2- यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण/गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जो आदेशिकाऐं आदि निर्गत की जाती हैं उनका क्रियान्वयन न हो पाने से अभियुक्त/गवाह मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है ।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालयों से अभियुक्त/गवाहों की उपस्थिति हेतु जो भी आदेशिकाऐं निर्गत की जायें विशेषकर जिन मामलों में अभियुक्त/गवाह पुलिस अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनका शतप्रतिशत क्रियान्वयन कराते हुए अभियुक्त/गवाहों की उपस्थिति मा0 न्यायालयों में समय से कराना सुनिश्चित करें जिससे लम्बित मुकदमों का निस्तारण समय से हो सके ।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।